न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 138 / 2024
निर्णय दिनांक :– 17.02.2025
पीठसीन अधिकारी :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. गोरधन पुत्र जुहार
2. घीसी देवी पत्नि गोपाल
3. छीतर पुत्र लाला
4. प्रताप पुत्र श्रीलाल
5. बोदू पुत्र श्रीलाल
6. रामचरण पुत्र जवाहर
7. रामधन पुत्र गोपाल
8. रामनारायण पुत्र रोडू
9. रामेश्वर पुत्र महराम
10. शंकर पुत्र तेजाराम
11. श्योजीराम पुत्र जुहार
12. श्योनारायण पुत्र रोडू
13. श्रीराम पुत्र गोपाल
14. शिवराज पुत्र हनुमान
15. सत्यनारायण पुत्र हनुमान
16. सुशीला पत्नि भैरूराम
17. सीता पत्नि तेजाराम
18. हेमराज पुत्र तेजाराम
19. हरनाथ पुत्र रोडू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पालड़ी, तहसील फागी जिला दूदू, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथू खा पुत्र वजीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सिरस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज०।
2. लाडा देवी पत्नि बिहारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लसाड़िया, तहसील फागी, जिला दूदू, राज०।
3. सुवालाल पुत्र भैरू जाति कुम्हार निवासी ग्राम लसाड़िया, तहसील फागी, जिला दूदू राज०।
4. तहसीलदार, तहसील फागी जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री तेजाराम चौधरी वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट.
बाबत् मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी आदेश फरमाये जाने बाबत

निर्णय दिनांक :– 17.02.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 202 के आराजी खसरा नम्बर 4322 रकबा 1.1866 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4326 रकबा 10.7735 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4327 रकबा 0.7334 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4328 रकबा 0.9610 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 13.6565 हैक्टेयर व खाता संख्या 250 के आराजी खसरा नम्बर 4586/4324 रकबा 8.1054 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण, पटवार हल्का चौरू दक्षिण, भू०अभि०नि०क्षेत्र० चौरू, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने उक्त आराजी भूमि का विधिवत रूप से तहसीलदार महोदय फागी के आदेश क्रमांक भू0अभि0/2023/1675–1677 की पालना में दिनाक 17/05/2023 को पटवारी हल्का चौरू दक्षिण से सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान होने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 09/06/2023 को मौके पर खातेदार व अन्य पडौसी खातेदारों के समक्ष सेग्रीगेशन शीट मुस्तकिल बिन्दू 4314 गै०मु० पाल व 4321 सरकारी नहर को मुस्तकिल बिन्दू मानते हुये उपरोक्त खसरा नम्बरों का सेग्रीगेशन नक्शा शीट से सीमाज्ञान कर समस्त सीमाओं का चिन्हिकरण किया गया तथा मौके पर उपस्थित खातेदारों के समक्ष पढाकर–सुनाकर हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी करवाये गये तथा सीमाज्ञान की पालना रिपोर्ट तहसीलदार महोदय फागी को प्रस्तुत की एवं अब उक्त सीमाज्ञान के समय कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण नही मान रहे है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि उक्त सीमाओं व मेर कोर का विवाद समाप्त हो एवं प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को भी अप्रार्थीगण नहीं मानते एवं प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजामहत करते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 09/06/2023 एवं आदेश कमांक भू0अभि0/2023/1675–1677 दिनांक 17/05/2023 की पालना में तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 09/06/2023 को कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से आये दिन मेर–कोर को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 09/06/2023 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी

बहस विद्वान अधिवक्ता एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम चौरू दक्षिण के खाता सं0 202 व

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

250 में प्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि ख0न0 4586/4324, 4322, 4326, 4327, 4328 का विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 09.06.2023 को सीमाज्ञान हो चुका है।

उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 202 के आराजी खसरा नम्बर 4322 रकबा 1.1866 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4326 रकबा 10.7735 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4327 रकबा 0.7334 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4328 रकबा 0.9610 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 13.6565 हैक्टेयर व खाता संख्या 250 के आराजी खसरा नम्बर 4586/4324 रकबा 8.1054 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के पडौसी सहखातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर